

समाहरणालय, पटना ।

(जिला भू-अर्जन शाखा)

प्रपत्र-VI

समाहर्ता/अपर समाहर्ता-सह-समुचित सरकार

अधिघोषणा

(अधिनियम-30/2013 की धारा- 19 (1) के अधीन)

पत्रांक-.....

दिनांक.....


चूंकि समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना बिहटा सरमेशा राज्य उच्च पथ सं०-78 निर्माण हेतु मौजा- अईनियो, थाना सं०- 72, अंचल-फतुहा, थाना-फतुहा, जिला- पटना में कुल 3.25 एकड़ भूमि अपेक्षित है।

इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधिन एक भू-खंड है जो मानक माप से कमोवेश 3.25 एकड़ है और जो मौजा- अईनियो, थाना सं०-72, अंचल-फतुहा, थाना-फतुहा, जिला- पटना में है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्रम सं०	खाता सं०	सर्वे भूखंड संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन भूमि का क्षेत्रफल (ए०)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (चौहद्दी)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	165	470	रैयती	कृषि	0.15	अनिल कुमार वो रामबाबू प्रसाद पिता....., सा०- भीखाचक	470 अंश	468 अंश	396 अंश	508 अंश
2	123	504	रैयती	कृषि	0.51	1) श्री अनिल कुमार सिंह पिता सिद्धेश्वर सिंह, सा०- पियरीया 2) संजय सिंह पिता स्व० रामसरेख सिंह, सा०- जमुनापुर 3) श्री देवेन्द्र सिंह पिता स्व० लील सिंह, सा०- सैदनपुर 4) श्री मिथलेश कु० सिंह पिता श्री जगेश्वर सिंह, सा०- सैदनपुर	504 अंश, 496 अंश	505 अंश, 506 अंश	504 अंश, 503 अंश	535 अंश
3	102	505	रैयती	कृषि	0.34	मो० लालमणी देवी पति स्व० जगदीश दुबे, सा०- ऐनियो	504 अंश	508 अंश	506 अंश	535 अंश
4	164	508	रैयती	कृषि	1.42	1) श्री विन्देश्वर सिंह पिता सिद्धेश्वर सिंह, सा०- सैदनपुर 2) श्री महेन्द्र राय वो विजेन्द्र राय पिता नेपाली राय, सा०- जगनपुरा	505 अंश, 506 अंश, 507 अंश	509 अंश, 510 अंश, 468 अंश	470 अंश	535 अंश
5	164	561	रैयती	कृषि	0.83	1) श्री विन्देश्वर सिंह पिता सिद्धेश्वर सिंह, सा०- सैदनपुर	574 अंश, 575 अंश, 561 अंश	560 अंश	536 अंश	576 अंश


यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम सं०-30/2013 की धारा 15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जाँच के पश्चात् किया गया है।

उपर्युक्त भूमि या किसी उपर्युक्त भूमि के विशेष भाग में पड़े कोयला खदान, लौह-पत्थर, स्लेट या अन्य खनिज हैं, ऐसे भागों में पड़े हुए खदान एवं खनिज जिसे उस प्रयोजन जिसके लिए भूमि अर्जित की गई है, परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाया अथवा उपयोग किए जाने की अपेक्षा है को छोड़कर, आवश्यक नहीं हैं। जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी, पटना के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।


समाहर्ता,
पटना।

ज्ञापांक सं०- २१५७) भू-अर्जन दिनांक: 13/12/16

1. प्रतिलिपि:- तीन अतिरिक्त प्रतियों सी०डी० के साथ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदा०, पटना को भेजने हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपि:- प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, पटना को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की 5-5 प्रतियाँ जिला भू-अर्जन कार्यालय, पटना को भेजने हेतु प्रेषित।


समाहर्ता,
पटना